# सारण समाहरणालय, छपरा

## (जिला योजना कार्यालय)

## आदेश

प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 3392 दिनांक – 10.11.2011 एवं ज्ञापांक /2905 दिनांक 11.07.14 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय स0वि0स0/स0वि0प0 सारण द्वारा प्रखंडवार/नगरनिकायवार अनुमोदित योजना का प्राक्कलन तैयार कर कार्यपालक अभि0 स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल – 01 छपरा के द्वारा योजनावार प्राक्कलित राशि पर तकनिकी स्वीकृति प्रदान की गई है एवं पत्रांक 1424 दिनांक 07.06.2017 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। अतः कार्य0 अभि0 स्थानीय क्षेत्र अभि0 संगठन कार्यप्रमंडल –01 छपरा के द्वारा प्रदत तकनिकी स्वीकृति की राशि पर निम्नालिखित योजनाओ में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही निदेश है, कि निम्नाकिंत योजनाओ का संबंधित अंचलधिकारी से जमीन सरकारी होने का प्रतिवेदन प्राप्त कर ही योजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया जाय।

| क्र0 | प्रखण्ड | स्वीकृत योजना का नाम | तकनिकी स्वीकृति की राशि | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | माननीय सदस्य का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सदर | भारतेश्वरी मारवाड़ी संस्कृत महाविद्यालय, छपरा में एक कमरे का निमार्ण। | 950600 | 950600 | श्री केदार नाथ पाण्डेय |
| | | | | | |
| | | कुल योग :– | 950600 | 950600 | |

( प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ) नौ लाख पचास हजार छः सौ रुपये मात्र।

<u>कार्यकारी एजेन्सी का नाम :–</u> इन स्वीकृत योजनाओं का कार्य विभागीय/निविदा के माध्यम से कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल– 1 छपरा द्वारा योजना एवं विकास विभाग पत्रांक 5255 दिनांक 23.06.14 के आलोक में स्थानीय स्तर पर प्रभार प्रचार के द्वारा विभागीय / निविदा आमन्त्रित कर योजनाओं का कार्यान्वयन कराना सूनिश्चित किया जाय।

<u>कार्यन्वयन की शर्ते</u>

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगे कि स्थल विवादग्रस्त नही है, तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नही पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरूध होने की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी। संबंधित अंचलधिकारी से भूमि प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही योजनाओ का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जाय।
2. सरकार के उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 5225 दिनांक – 23.09.14 में निहित निर्देश के आलोक में स्वीकृति योजनाअें के लोक निर्माण सहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाय।
3. योजनाओ के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नही किया जायेगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना–कार्य सम्पादित किया जाय।
5. योजना के कार्य की गुणवता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी।
6. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करे।
7. योजना स्थल पर स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक हैं।

8. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यान्वयन अवधि में एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो ग्राफी/विडियो ग्राफी की प्रति योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

9. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानातरिंत किया जा सके।

10. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।

11. योजना कार्य प्रारंभ करने के पूर्ण संबंधित अंचलधिकारी से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर ले। यदि योजना स्थल में किसी की रैयाती भूमि अवस्थित हो तो भू-दाता के द्वारा उसे महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित करने के पश्चात् ही योजना कार्य प्रारंभ करे। अन्यथा किसी भी प्रकार अनियमितता की सारी जबावदेही संबंधित कार्य एजेन्सी की होगी।

12. प्रत्येक माह के 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय सारण छपरा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

Sd/-
सहायक योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 385 /यो० दिनांक 12.06.17/

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल -1 छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है, कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित/क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी सारण प्रमण्डल छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई० टी० मैनेजर एन० आई० सी सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाइट पर अपलोड करना सूनिश्चित करे/संबंधित अंचलधिकारी जिला सारण को सूचनार्थ एवं निदेश है। कि उपरोक्त योजनाओं का जमीन प्रतिवेदन कार्य एजेन्सी को शीघ्र उपलब्ध कराना सूनिश्चित करे।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय सदस्य को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।